न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — झंवर लाल, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2026

अनवान

1. हजारी पुत्र श्री देबी बैरवा नि0 रूपालिया तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सांवरलाल पुत्र श्री श्याम लाल ढोली नि0 सियार तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

———प्रार्थीगण

बनाम

1. ईस्माईल पुत्र समसूदीन मुसलमान नि0 रूपालिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला—भीलवाड़ा

————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन</u>

उपस्थित :::—

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ——— प्रार्थी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 02 राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़
अप्रार्थी संख्या 01 अनु0

<u>निर्णय</u>

दिनांक::— 17.03.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 10.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि यह है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधित्पय एवं कब्जे काश्त की सरहद रूपालिया पटवार हल्का आमलीगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के आराजी नम्बर 99 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 111 एवं 103 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आशराजी नन्बर 102 रकबा 0.8599 हैक्टयर की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे जिरो नजरी नक्शे ने लाल स्याही से दर्शा रखा है से होकर प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 99 में आरो जाते है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, रांज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रारते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।

3. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, पूर्व के खातेदारो द्वारा भी कभी भी उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नही किया है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा हाल ही में नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गया। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षी संख्या 01 एक को दिनांक 30 अक्टूम्बर 2025 दो हजार पच्चीस को रास्ते मे अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद रूपालिया पटवार हल्का आमलीगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 99 रकबा 1.4668 हैक्टयर मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 111 एवं 103 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 102 रकबा 0.8599 हैक्टयर की पूर्वी मेड़ के सहार जिसे नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शा रखा है से होकर प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 99 में आते जाते है, को रास्ता से 20 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारीत किये गये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा

रूपालिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 102 रकबा 0.8599 है0 में से 0.0475है0, भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा रूपालिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 102 रकबा 0.8599 है0 में से 0.0475है0, नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा रूपालिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी **खसरा संख्या 102 रकबा 0.8599 है0 में से 0.0475 है0**, मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा **0.0475** हैक्टेयर (0475 वर्गमीटर), की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 102 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ